


फर्दे अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत इफ्तखंडाधीकारी सिकराय (दोहा)

दिनांक १२/११/२०२१
सरकार बनाम विनोद

किस्म मुकदमा 212 RTA मु० नं० 13/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
११/२०	<p>पडावली 212 RTA पार्शनापत्र के निर्णय हेतु पेशी में ली गयी। उभय पक्ष की वकल के तर्कों से स्पष्ट है कि उभयगत भूमी का T.I. वाद सामंजस्य राजस्व मंडल न्यायालय द्वारा मूल वाद के निर्णय तक Confirmed हो चुका है एक ही भूमी के दो T.I. पार्शनापत्र विधेक अवधानों के विपरीत हैं। अतः पार्शनापत्र 212 RTA विधेक रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जा रहा है।</p> <p>निर्णय आज दि. ११/११/२० को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पडावली फिल शुमार होकर डाकिल ५४०२ है।</p> <p style="text-align: center;">  (रखावत में) </p>	

